



नीलामी सूचना

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

सेशन हाउस पर टूट गये आंवले के पेड़ की नीलामी दिनांक 17.07.2024 को सायं 04:30 बजे चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में की जानी है। जिसकी बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अंकन 500-00 रू0 (अंकन पांच सौ रूपये मात्र) प्रति बोलीदाता की दर से धरोहर धनराशि कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 17.07.2024 को समय 11:00 बजे तक करनी होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में भी धरोहर धनराशि जमा की जा सकती है जो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को देय होगा।

प्रथम तीन उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय जिला न्यायाधीश, मेरठ का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। बोली जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसे वन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क भी अदा करना होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा यथा समय कोई अन्य शुल्क अथवा कर जो भी देय होगा क्रेता को अदा करना होगा। जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी उसे बकाया धनराशि उसी दिन यानि दिनांक 17.07.2024 को ही नजारत अनुभाग में जमा करानी होगी। नीलामी की सभी शर्तें नजारत अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती है।


(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य, नीलाम समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-09, मेरठ।


(चन्द प्रकाश तिवारी-प्रथम)
अध्यक्ष, नीलाम समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-01, मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु


1. नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश महोदय, मेरठ
2. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ
3. नोटिस बोर्ड आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ
4. नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
5. नोटिस बोर्ड प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ
6. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु
7. कम्प्यूटर विभाग को माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट तथा जनपद न्यायालय, मेरठ की बेवसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु


नीलामी सूचना

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

सेशन हाउस पर टूट गये आंवले के पेड़ की नीलामी दिनांक 17.07.2024 को सायं 04:30 बजे चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में की जानी है। जिसकी बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अंकन 500-00 रू0 (अंकन पांच सौ रूपये मात्र) प्रति बोलीदाता की दर से धरोहर धनराशि कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 17.07.2024 को समय 11:00 बजे तक करनी होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में भी धरोहर धनराशि जमा की जा सकती है जो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को देय होगा।

प्रथम तीन उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय जिला न्यायाधीश, मेरठ का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। बोली जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसे वन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क भी अदा करना होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा यथा समय कोई अन्य शुल्क अथवा कर जो भी देय होगा क्रेता को अदा करना होगा। जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी उसे बकाया धनराशि उसी दिन यानि दिनांक 17.07.2024 को ही नजारत अनुभाग में जमा करानी होगी। नीलामी की सभी शर्तें नजारत अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती है।


(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य, नीलाम समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-09, मेरठ।


(चन्द प्रकाश तिवारी-प्रथम)
अध्यक्ष, नीलाम समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-01, मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु

1. नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश महोदय, मेरठ
2. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ
3. नोटिस बोर्ड आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ
4. नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
5. नोटिस बोर्ड प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ
6. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु
7. कम्प्यूटर विभाग को माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट तथा जनपद न्यायालय, मेरठ की बेवसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु

प्रेषक,

ब्रजेश मणि त्रिपाठी,
प्रभारी अधिकारी नज़ारत/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-०९, मेरठ।

सेवा में,

श्रीमान् डी०एफ०ओ०,
मेरठ।

पत्रांक :

दिनांक:


विषय : सेशन हाउस पर टूटे हुये आंवले के पेड़ की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रतिनिधि को उपस्थित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि सेशन हाउस पर टूटे हुये आंवले के पेड़ की नीलामी दिनांक 17.07.2024 को चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में सायं 04:30 बजे करायी जानी प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अपने प्रतिनिधि को समयानुसार सायं 04:30 बजे तक उपस्थित होने हेतु समुचित दिशा निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें ताकि उक्त प्रक्रिया नियमानुसार सम्पादित करायी जा सके।

भवदीय,




(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
प्रभारी अधिकारी नज़ारत/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-०९, मेरठ।


सेवा में,
माननीय जनपद न्यायाधीश,
मेरठ।
महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 17.05.2024 वास्ते सेशन हाउस पर टूटे आवंले के पेड़ की नीलामी हेतु नियत थी। आज की नीलामी के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु नीलामी की सूचना का माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय मेरठ की बेवसाईट पर अपलोड कराते हुये दैनिक हीरा टाईम्स समाचार पत्र में प्रकाशित करायी गयी थी। परन्तु आज दिनांक 17.05.2024 को श्री अचल नारायण सकलानी, सदस्य, नीलाम समिति अवकाश पर है और न ही कोई बोलीदाता उपस्थित है। जिसकारण उक्त प्रक्रिया आज सम्पादित करायी जानी सम्भव नहीं है।

अतः माननीय महोदय यदि उचित समझे तो उक्त प्रक्रिया हेतु दिनांक 17.07.2024 नियत की जा सकती है।


आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर उचित आदेशार्थ प्रेषित है।


(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य, नीलामी समिति /
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-०९, मेरठ


(चन्द्र प्रकाश तिवारी-प्रथम)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-०१, मेरठ

आदेश

अवलोकित। अनुमोदित।


जनपद न्यायाधीश,
मेरठ।

प्रेषक,

ब्रजेश मणि त्रिपाठी,
प्रभारी अधिकारी नज़ारत/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-०९, मेरठ।

सेवा में,

श्रीमान् डी०एफ०ओ०,
मेरठ।

पत्रांक :

दिनांक:


विषय : सेशन हाउस पर टूटे हुये आंवले के पेड़ की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रतिनिधि को उपस्थित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि सेशन हाउस पर टूटे हुये आंवले के पेड़ की नीलामी दिनांक 17.07.2024 को चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में सायं 04:30 बजे करायी जानी प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अपने प्रतिनिधि को समयानुसार सायं 04:30 बजे तक उपस्थित होने हेतु समुचित दिशा निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें ताकि उक्त प्रक्रिया नियमानुसार सम्पादित करायी जा सके।

भवदीय,



(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
प्रभारी अधिकारी नज़ारत/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-०९, मेरठ।